



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496]

No. 496]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2003/ज्येष्ठ 9, 1925

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2003/JYAISTHA 9, 1925

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2003

का.जा. 635(अ).— भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का0आ0 114 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा तटीय क्षेत्र को तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने और उनके विस्तार, प्रचालनों और प्रक्रियाओं पर निर्बंधन अधिरोपित किए थे;

और, अण्डमान निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के उक्त राज्य क्षेत्र के तटीय विनियमन क्षेत्र में बालु के खनन पर उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा लगाए गए निर्बंधनों के कारण उक्त क्षेत्र के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सहन की जा रही कठिनाइयों की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था;

और, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे की जांच की गई है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन किया जाना चाहिए;

और, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) में यह उपबंध है कि उप-नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी जब कभी केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है तो वह उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी।

और केन्द्रीय सरकार को यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन हेतु उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है:

अतः अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम 3 और (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप धारा (2) के खण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) पैरा 2 के उप-पैरा (ix) में 'बशर्ते कि' शब्दों से शुरू होने वाले और पक्षी घोंसले स्थल और संरक्षित क्षेत्रों' शब्द से अन्त होने वाले भाग को निम्नलिखित उपबंध से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'बशर्ते कि अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित क्षेत्र में अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल द्वारा गठित समिति, जिसमें (1) मुख्य सचिव, अण्डमान निकोबार प्रशासन (2) सचिव पर्यावरण विभाग (3) सचिव, जल संसाधन विभाग और (4) सचिव, अण्डमान लोकनिर्माण विभाग शामिल होंगे, द्वारा बालु खनन की अनुमति दी जा सकती है :

इसके बाद समिति रेत बालु के पुनर्भरण या भराव के आधार के साथ-साथ मामले दर मामले के आधार पर निर्माण कार्यों के लिए 01 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 तक की अवधि हेतु 44,102 क्यूबिक मीटर बालु के खनन की अनुमति प्रदान कर सकती है। परन्तु यह और कि इस उप-पैरा के अधीन बालु के खनन हेतु प्रदान की गई अनुमति खनन परियोजनाओं पर आधारित होनी चाहिए और संवेदी तटीय पारि प्रणाली, जिसमें प्रवालभित्ति या कछुए, मगरमच्छ, पक्षी घोंसले स्थल और संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, को हानि से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय निर्धारित किए जाने चाहिए।'

(ख) 'तटीय विनियमन क्षेत्र- iv अंडमान और निकोबार द्वीप समूह' शीर्ष के अधीन अनुबंध-1 में मद (iv) की उप-मद (ख) में '31 मार्च, 2003' अंकों, और शब्दों के स्थान पर '31 मार्च, 2004' अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. जैड-12011/2/96-आई ए-III]

डॉ. जी. राजागोपालन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : प्रमुख अधिसूचना भारत के राजपत्र में का. आ. 114 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 को प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नलिखित के तहत संशोधित की गई :-

- (i) का.आ. 595 (ई), दिनांक 18 अगस्त, 1994
- (ii) का.आ. 73 (ई), दिनांक 31 जनवरी, 1997
- (iii) का.आ. 494 (ई), दिनांक 9 जुलाई, 1997

- (iv) का.आ. 334 (ई), दिनांक 20 अप्रैल, 1998
- (v) का.आ. 873 (ई), दिनांक 30 सितम्बर, 1998
- (vi) का.आ. 1122 (ई), दिनांक 29 दिसम्बर, 1998
- (vii) का.आ. 988 (ई), दिनांक 29 सितम्बर, 1999
- (viii) का.आ. 730 (ई), दिनांक 4 अगस्त, 2000
- (ix) का.आ. 900 (ई), दिनांक 29 सितम्बर, 2000
- (x) का.आ. 329 (ई), दिनांक 12 अप्रैल, 2001
- (xi) का.आ. 988 (ई), दिनांक 3 अक्टूबर, 2001
- (xii) का.आ. 550 (ई), दिनांक 21 मई, 2002
- (xiii) का.आ. 52 (ई), दिनांक 16 जनवरी, 2003